फर्द अहकाम

न्यायालय

मोती सिंह बनाम राज. सरकार

मुकदमा संख्या/वर्ष 102/2022 : ____________/ 20____

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	7/2/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/2/24 को पेश हों।	
	28/2/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/3/24 को पेश हों।	
	14/3/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/4/24 को पेश हों।	
	18/4/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/5/24 को पेश हों।	
	24/5/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] 136 [illegible] ओर से पेश [illegible] पत्रावली [illegible] बाद [illegible]	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय ([illegible])

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:16:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र : 102/2022
निर्णय दिनांक : 24.04.2024

1. श्री मोदी शिक्षण संस्थान जरिये अधिकृत प्रतिनिधी नित्यानन्द दाधीच पुत्र श्री जीवन राम दाधीच पंजीकृत कार्यालय टेक्नोलॉजी पार्क के पास, शिप्रा पथ, मानसरोवर जयपुर।
2. मैसर्स ओरियेन्टल टाल्क प्रोडक्टस् प्राइवेट लिमिटेड जरिये अधिकृत प्रतिनिधी विष्णु मोदी पुत्र स्व० श्री श्रीकिशन मोदी पंजीकृत कार्यालय– डी–46–बी, मालवीया मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर। प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गणपतपुरा पटवार क्षेत्र कल्याणपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 382 रकबा 0.1400 हैक्टेयर स्थित है, प्रार्थी संख्या । ने अन्य कृषि भूमि खसरा नम्बर 374 रकबा 0.2300 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 377 रकबा 0.1000 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.2700 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 379 रकबा 0.2200 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 381 रकबा 0.6500 हैक्टेयर में से पश्चिमी तरफ का रकबा 0.1500 हैक्टेयर एंव खसरा नम्बर 382 रकबा 0.1400 हैक्टेयर सम्पूर्ण में से पश्चिमी तरफ का रकबा 0.0400 हैक्टेयर इस प्रकार कुल रकबा 1.0100 हैक्टेयर में से हिस्सा 3/4 भाग को जरिये एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकीत 28--08–2012 द्वारा इसके पूर्व स्वामी श्री नारायण पुत्र कालू जाति जाट निवासी ग्राम गणपतपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर से कय किया है। इसी प्रकार ग्राम गणपतपुरा पटवार क्षेत्र कल्याणपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 382 रकबा 0.1400 हैक्टेयर स्थित है, प्रार्थी संख्या 2 ने अन्य कृषि भूमि खसरा नम्बर 374 रकबा 0.2300 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 377 रकबा 0.1000 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.2700 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 379 रकबा 0.2200 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 381 रकबा 0.6500 हैक्टेयर में से पश्चिमी तरफ का रकबा 0.1500 हैक्टेयर एंव खसरा नम्बर 382 रकबा 0.1400 हैक्टेयर सम्पूर्ण में से पश्चिमी तरफ का रकबा 0.0400 हैक्टेयर इस प्रकार कुल रकबा 1.0100 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/4 भाग को जरिये एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकीत 30–04–2012 द्वारा इसके पूर्व स्वामी श्री नारायण पुत्र कालू जाति जाट निवासी ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:16:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

गणपतपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर से कय किया है। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर 382 रकबा 0.1400 हैक्टेयर में से पश्चिमी साईड का रकबा 0.0400 हैक्टेयर सम्पूर्ण के एकमात्र स्वामी एंव काबिज प्रार्थीगण अपने–अपने निहित हक हिस्सेनुसार है तथा प्रार्थीगण के हक में निष्पादित एंव पंजीबद्ध विक्रय पत्रों के बाबत नामान्तरकरण भी जरिये नामान्तकरण संख्या 329 दिनांक 30.10.2012 द्वारा राजस्व रिकार्ड में खुल चुका है तथा जिसका अमल भी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 में किया जा चुका था। अप्रार्थी के राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से एंव घोर लापरवाही बरतते हुए उक्त खसरा नम्बर 382 की जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में प्रार्थीगण के नाम से खुले हुए नामान्तरकरण संख्या 329 का इन्द्राज बिना कोई कारण बताये हटा दिया है तथा उक्त खसरा नम्बर 382 रकबा 0.1400 हैक्टेयर सम्पूर्ण की खातेदारी वापिस इसके पूर्व खातेदारान् के नाम सहवन से व अंकन की लिपकीय भूल करते हुए अंकित कर दी है, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण को आज तक कोई सूचना नहीं दी गई है ना ही सुनवाई का कोई अवसर ही प्रार्थीगण को दिया गया है, बिना प्रार्थीगण को सुने अप्रार्थी के राजस्व कर्मचारियों का उक्त कृत्य घोर लापरवाही को दर्शित करता है, तथा अप्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नम्बर 382 रकबा 0.1400 हैक्टेयर में से प्रार्थीगण के कयशुदा रकबा 0.0400 हैक्टेयर बाबत अंकन की लिपिकीय त्रुटि करते हुए प्रार्थीगण का नाम वर्तमान जमाबन्दी में से हजब कर दिया है जो सरसरी तौर पर खारिज फरमाये जाने योग्य है तथा खसरा नम्बर 382 रकबा 0.1400 हैक्टेयर में से प्रार्थीगण द्वारा पश्चिमी साईड कयशुदा रकबा 0.0400 हैक्टेयर के बाबत वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण का नाम उनके क्रयशुदा हिस्से के मुताबिक पुनः अंकित किया जाना आवश्यक एंव उचित है। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर 382 रकबा 0.1400 हैक्टेयर में से क्रयशुदा रकबा 0.0400 हैक्टेयर सम्पूर्ण के एकमात्र स्वामी एंव काबिज प्रार्थीगण है, जिसका प्रार्थीगण कय करने के दिन से ही लगातार उपयोग व उपभोग कर रहे है। नामान्तरकरण संख्या 329 के अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 382 कयशुदा रकबा 0.0400 हैक्टेयर सम्पूर्ण की वर्तमान खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के नाम से दर्ज की जानी चाहिए थी तथा खसरा नम्बर 500/382 रकबा 0.1000 हैक्टेयर की खातेदारी मूल खातेदार नारायण पुत्र कालू जाति जाट के नाम से दर्ज की जानी चाहिए थी, किन्तु अप्रार्थी ने सहवनवश, लापरवाही बरतते हुए तथा अंकन की लिपिकीय भूल करते हुए नामान्तरकरण संख्या 329 के इन्द्राजात् का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में से हटाकर खसरा नम्बर 382 रकबा 0.1400 हैक्टेयर सम्पूर्ण की खातेदारी पुनः पूर्व खातेदार के नाम से अंकित कर दी, जो गलत है तथा मुताबिक विक्रय पत्र दिनांकीत 28–08–2012 एंव 30–04–2012 प्रार्थीगण के हक में नामान्तरकरण संख्या 329 खुल चुका है तथा जिसका इन्द्राज भी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हो चुका था, जिसको आंशिक रूप से अप्रार्थी ने घोर लापरवाही बरतते हुए राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:16:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

हटा दिया है, जिसको राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दुरूस्त फरमाया जाना आवश्यक एंव उचित है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी को दुरूस्त कर अपना नाम अंकित किये जाने बाबत अप्रार्थी से कई बार निवेदन कर चुका है किन्तु इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा उक्त गलत इन्द्राजात को दुरूस्त किये जाने की कोई कार्यवाही नही की गई है और अप्रार्थी ने प्रार्थीगण से दिनांक 18–07–2022 को कहा कि उक्त गलत इन्द्राजात् की दुरूस्ती श्रीमान् एस. डी. ओ. साहब के आदेश से ही की जा सकती है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि खसरा नम्बर 382 कयशुदा रकवा 0.0400 हैक्टेयर बाबत हुए गलत इन्द्राजात को दुरूस्त कर प्रार्थीगण का नाम पुनः अंकित किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। 8. यह कि प्रार्थना पत्र की सुनवाई कर उसे निर्णित करने का श्रीमान् न्यायालय को क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार प्राप्त है। 9. यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक व दो में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 382 रकबा 0.1400 हैक्टेयर में से प्रार्थीगण के क्रयशुदा पश्चिमी साईड का रकबा 0.0400 हैक्टेयर वाके ग्राम गणपतपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर बाबत हुए गलत इन्द्राजात को दुरूस्त कर प्रार्थी के हक में खुले हुए नामान्तकरण संख्या 329 के मुताबिक खसरा नम्बर 382 रकबा 0.1400 हैक्टेयर में से प्रार्थीगण के क्रयशुदा पश्चिमी साईड का रकबा 0.0400 हैक्टेयर को पुनः प्रार्थीगण के नाम से उनके क्रयशुदा हिस्सेनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सांगानेर को नोटिस जारी किये गए। तहसीलदार सांगानेर की ओर से पत्रावली में जवाब पेश नही किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे बहस करने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 382 रकबा 0.1400 हैक्टेयर में से प्रार्थीगण के क्रयशुदा पश्चिमी साईड का रकबा 0.0400 हैक्टेयर वाके ग्राम गणपतपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर बाबत हुए गलत इन्द्राजात को दुरूस्त कर प्रार्थी के हक में खुले हुए नामान्तकरण संख्या 329 के मुताबिक खसरा नम्बर 382 रकबा 0.1400 हैक्टेयर में से प्रार्थीगण के क्रयशुदा पश्चिमी साईड का रकबा 0.0400 हैक्टेयर को पुनः प्रार्थीगण के नाम से उनके क्रयशुदा हिस्सेनुसार [illegible] र्ड जमाबन्दी में अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली [illegible] दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राज[illegible] अधिनियम 1956 को स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:16:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 382 रकबा 0.1400 हैक्टेयर में से प्रार्थीगण के क्रयशुदा पश्चिमी साईड का रकबा 0.0400 हैक्टेयर वाके ग्राम गणपतपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर बाबत हुए गलत इन्द्राजात को दुरूस्त कर प्रार्थी के हक में खुले हुए नामान्तकरण संख्या 329 के मुताबिक खसरा नम्बर 382 रकबा 0.1400 हैक्टेयर में से प्रार्थीगण के क्रयशुदा पश्चिमी साईड का रकबा 0.0400 हैक्टेयर को पुनः प्रार्थीगण के नाम से उनके क्रयशुदा हिस्सेनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है। उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:16:52 IST
Reason: SelfAttested